न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
45 / 2022 / प्रार्थना पत्र	2022 / 15	12.01.2022	12.08.2025

अनवान

मु0 भूरी पत्नी रामा दरोगा निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीया

:: बनाम ::

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री राजेश वर्मा –अभिभाषक प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार –राज्य पक्ष

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 12.01.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां .तहसील शाहपुरा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 2367 / 1268 स्थित होकर प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थीया के खातेदारी आराजी 2367 / 1268 में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी में विपक्षी की बिलानाम आराजी 1267, 1268 में से होकर अपनी आराजी में कृषि उपकरण लाती ले जाती है। किन्तु बिलानाम आराजी होने से आये दिन व्यक्ति नाजायज कब्जा करते हुए रास्ते को जानबूझकर बंद कर देते है। इस कारण प्रार्थीया को अपनी आराजी पर पहुंच हेतु विपक्षी की आराजी में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया महिला काश्तकार होकर उसका परिवार उक्त आराजी की आय पर निर्भर है। यदि प्रार्थिया को उसकी आराजी पर जाने हेतु रास्ता नहीं दिया गया तो उसका परिवार भूखा मर जायेगा। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थिया की आराजी पर पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 2367 / 1268 में पहुंच हेतु विपक्षी के स्वामित्व की आराजी संख्या 1267, 1268 भूमि में से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीया के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता लुघतम होकर केवल सुविधाजनर उपयोग के लिए नहीं है। तहसीलदार द्वारा ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहुपरा स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1267 रकबा 01.61 है0 में से 0.0136 हैक्टेयर(34 मीटर गुणा 4 मीटर) एवं आराजी नम्बर 1268 रकबा 1.25 है0 में से 0.0540 है0(135 मीटर गुणा 4 मीटर)

कुल किता 2 रकबा 0.0676 हैक्टेयर(676 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:—
प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीया की आराजी 2367/1268 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीया को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। अतः ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1267 रकबा 01.61 है0 में से 0.0136 हैक्टेयर(34 मीटर गुणा 4 मीटर) एवं आराजी नम्बर 1268 रकबा 1.25 है0 में से 0.0540 है0(135 मीटर गुणा 4 मीटर) कुल किता 2 रकबा 0.0676 हैक्टेयर(676 वर्ग मीटर) भूमि भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षी की खातेदारी भूमि बिलानाम आराजी आराजी नम्बर 1267 रकबा 01.61 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0136 हैक्टेयर(34 मीटर गुणा 4 मीटर/136 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 1268 रकबा 1.25 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0540 है0(135 मीटर गुणा 4 मीटर/540 वर्ग मीटर) भूमि उपयोग में आयेगी। इस प्रकार नवीन रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि कुल किता 2 रकबा 0.0676 हैक्टेयर(676 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा